THE DEPUTY CHAIRMAN: We will now take up the Delhi University (Amendment) Bill, 2002. There is nothing much in this Bill. Only Shri Sangh Priya Gautam had given his name. On my recommendation and request, he has withdrawn his name. I would ask the Minister to be brief so that we can send him back fast.

THE DELHI UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL, 2002

मानव संसाधन विकास मंत्री,विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा0 मुरली मनोहर जोशी) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, 1992 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

उपसभापति : विचार तो हो चुका है । Mr. Minister, would you like to say something?

डा0 मुरली मनोहर जोशी : महोदया, यह बहुत ही सामान्य संशोधन है । पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के अतिरिक्त और किसी विश्वविद्यालय को अपने यहां सम्बद्धता देने का अधिकार नहीं था और जो उन का टैरीटोरियल जूरिस्डिक्शन था उस के कारण से उन को किसी संस्था को सम्बद्ध करने में कठिनाई होती थी । इसलिए हम इतना ही प्रावधान कर रहे हैं कि अभी इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय को भी सम्बद्धता देने का अधिकार दे दिया जाय जिस से कि शिक्षा का भी विस्तार हो सके, कालेजेज भी खुल सकें और दिल्ली में जो बहुत बड़ा प्रशासनिक बोझ है, वह कम हो सके । इस प्रकार से यह सुविधा देने वाला बहुत उत्तम विधेयक है और मेरा निवेदन है कि इस विधेयक को सर्वानुमति से तत्काल पारित किया जाय।

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तरांचल): मैडम, इस पर चर्चा की आवश्यकता नहीं है ।

श्रीमती चन्द्रकला पांडे (पश्चिमी बंगाल): मैडम ...

DR. BIPLAB DASGUPTA (West Bengal): Madam, Shrimati Chandra Kala Pandey wants to speak...

THE DEPUTY CHAIRMAN: She didn't give her name ...*(Interruptions)*... Please sit down. The Bill was listed for yesterday and it has come up for consideration now. If Shrimati Chandra Kala Pandey wanted to speak, she could have given her name before..*(Interruptions)*... Nobody is speaking on it..*(Interruptions)*... No, she is not speaking because she cannot give her name any time she wants. This House is run under certain rules. You cannot keep sending names one after another. Was this Bill listed in today's Business or not?

DR. BIPLAB DASGUPTA: It was.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Then, why didn't the Chief Whip of your party or the Member not think of it earlier? I hope to run this House according to certain rules. There have been so many irregularities going on in this House. At the last minute, Members just walk in and give their names. This is not the way. You have to take the House seriously. Now, I shall now put the question.

The question is:

"That the Bill further to amend the Delhi University Act, 1922, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up the clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill.
Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

डा0 मुरली मनोहर जोशी : महोदया, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि -

'विधेयक को पारित किया जाए ।'

The question was put and the motion was adopted.

THE NATIONAL CO-OPERATIVE DEVELOPMENT CORPORATION (AMENDMENT) BILL, 1995

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : उपसभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:-

"राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदया, सहकारिता आंदोलन के लिए यह एक महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक है। हमारे एनसीडीसी की तरफ से सहकारिता को जो ऋण दिये जाते थे, पहले वह राज्य सरकार की गारंटी पर दिए जाते थे, लेकिन आज के युग में सहकारी क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं का